कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

(श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या – 116/2023 निर्णय दिनांक :–08.04.2024

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. गीता पुत्री बालू जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. घीसी पत्नि नन्दकिशोर जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी माधोसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. मनभर पुत्री बालू जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. रतनलाल पुत्र रामप्रसाद जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. रमेश पुत्र बालू जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. रामप्रसाद पुत्र बालू जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. रामराज पुत्र बालू जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
8. लाडा पुत्री बालू जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
9. सरोज देवी पत्नि महावीर जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी माधोसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार महोदय देवली जिला टोक राज0 **–अप्रार्थी–**

उपस्थितः–
श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 128 राज0 एक्ट बाबत
किये जाने पत्थरगढी लेण्ड रेवेन्यू

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 112 खसरा नम्बर 289 रकबा 3.79 है0 वाके ग्राम माधोसिंहपुरा पटवार हल्का पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है। प्रार्थीगण उक्त आराजीयात पर काबिज है तथा काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण ने पूर्व मे उक्त भूमि की नाप चोप करवायी थी जिसके सीमा चिन्ह मिट चुके है तथा सीमाएं अस्पष्ट हो गई है जिसके कारण मोके पर प्रार्थीगण एवं पड़ोसी खातेदारो के मध्य उक्त भूमि की सीमा एवं कब्जे को लेकर गंभीर विवाद होने की संभावना उत्पन्न हो गई है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी भूमि बाबत उत्पन्न होने वाले विवाद को समाप्त करने के लिये उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है। यदि उक्त भूमि की पत्थरगढी नहीं करवायी गयी तो मोके पर गंभीर विवाद होगा, लडाई झगडा होगा तथा अनावश्यक रूप से मुकदमे बाजी बढेगी। उक्त भूमि बाबत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नही है और किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश भी न्यायालय से जारी नही है। प्रार्थीगण नियमानुसार पत्थरगढी का शुल्क जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी भूमि श्रीमान के क्षेत्राधिकार मे होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 112 खसरा नम्बर 289 रकबा 3.79 है0 वाके ग्राम माधोसिंहपुरा पटवार हल्का पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0 की पत्थरगढी किये जाने हेतु श्रीमान तहसीलदार महोदय, देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की ओर से जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार है:– उक्त आराजी आवेदक की खातेदारी में दर्ज कब्जे काश्त में आवेदक की पश्चिमी कोने पर आंशिक रूप से अन्य खातेदार का कब्जा काश्त है। आवेदक का अन्य पड़ोसी से विवाद होना मौके पर बताया गया है। सीमा विवाद ख. नं. नंबर 288 के पड़ोसी खातेदार दिनेश धर्मराज पुत्र कैलाश सीता देवी पत्नी कैलाश धाकड़ से होना बताया है ।आवेदक का जिन पड़ोसी खातेदार से विवाद है उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है उसका बनाया जाना आवश्यक है। उक्त आराजी के संबंध में किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। आवेदक की खातेदारी भूमि की सीमाओ पर अतिक्रमी राजकीय राजकीय भूमि ख. नं. 286 है। पूर्व में श्रीमान तहसीलदार साहब देवली के आदेश क्रमांक 45 दिनांक 10.06.22 से सीमा ज्ञान हो चुका है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रा. पत्र के तथ्यो को ही दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

तहसीलदार ने बहस में जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी वाके ग्राम आंवा तहसील दूनी प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि जमाबन्दी सम्वत 2074–77 भूमि खाता संख्या 112 खसरा नम्बर 289 रकबा 3.79 है0, वाके ग्राम माधोसिंहपुरा पटवार हल्का पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक की आराजी की विधिवत पत्थरगढी, प्रार्थीया का कब्जा होने पर, नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कर, प्रार्थीगण व अन्य गवाहान की उपस्थिति में की जावे अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 08.04.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली